वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष–2013-14

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2013–2014

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2013–2014

मंत्रालय

माननीय मंत्री – श्री राघव जी	–	दिनांक 01.04.2013 से 05.07.2013
माननीय मंत्री – श्री जयंत मलैया	–	दिनांक 05.07.2013 से 16.08.2013
माननीय मंत्री – श्री जगदीश देवड़ा	–	दिनांक 16.08.2013 से 09.12.2013
माननीय मंत्री – श्री जयंत मलैया	–	दिनांक 23.12.2013 से निरंतर
प्रमुख सचिव – श्री एस. आर. मोहन्ती	–	दिनांक 01.04.2013 से 13.01.2014
अपर मुख्य सचिव – श्रीमती अजिता वाजपेयी पाण्डे	–	दिनांक 13.01.2014 से निरंतर
आयुक्त एवं प्रमुख सलाहकार – डॉ. राजेन्द्र मिश्रा	–	दिनांक 01.04.2013 से निरंतर
प्रमुख सलाहकार – श्री मंगेश त्यागी	–	दिनांक 01.04.2013 से निरंतर
अपर संचालक – श्री आर. एस. राठौर	–	दिनांक 01.04.2013 से निरंतर
संयुक्त संचालक – डॉ. एस. महाले	–	दिनांक 01.04.2013 से निरंतर
कार्यपालक निदेशक – श्री उमेश शर्मा	–	दिनांक 01.04.2013 से निरंतर

विषय सूची

पृष्ठ

अध्याय 1 — योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 01

अध्याय 2 — राज्य योजना आयोग 06

अध्याय 3 — आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय 12

अध्याय 4 — मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद 30

मध्यप्रदेश शासन

योजना आर्थिक एव सांख्यिकी विभाग

अध्याय–1

विभाग की प्रशासनिक संरचना –

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की गतिविधियां, निम्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों द्वारा संपादित की जाती है :

1. राज्य योजना आयोग
2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
3. विभागाध्यक्ष –

1. राज्य योजना आयोग –

राज्य योजना आयोग, जो योजना निर्माण हेतु गठित शीर्ष राज्य स्तरीय संस्था है, के पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं । राज्य योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान हैं ।

2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय –

राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं एकत्रित जानकारी के प्रस्तुतीकरण कार्य को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गों के अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ हैं ।

3. विभाग के अंतर्गत प्रतिपादित नीति संबंधी विषय –

1. पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं का निर्माण, पुनरावलोकन तथा मूल्यांकन
2. उन परियोजनाओं/कार्यक्रमों, जो योजना में सम्मिलित नहीं हैं सहित परियोजनाओं/कार्यक्रमों का पूर्व मूल्यांकन तथा अनुमोदन ।
3. भावी योजना बनाना, जिसमें सामग्री, जनशक्ति तथा संसाधन योजना बनाना शामिल है तथा संसाधन तालिकाएं तैयार करना ।
4. सम्पूर्ण राज्य के लिये, साथ ही विभिन्न जिलों तथा क्षेत्रों के लिये सेक्टरों में विकास के स्तर का निर्धारण ।

5. पंचवर्षीय योजना के समग्र राष्ट्रीय उद्देश्यों की दृष्टि से राज्य के लिये प्राथमिकताओं का निर्धारण ।
6. स्थानिक और क्षेत्रीय (सेक्टोरल) योजनाओं का एकीकृत राज्य योजनाओं के साथ संश्लेषण करना और उनके निर्मित रूप का योजना आयोग से संगत समन्वय करना ।
7. योजना प्रगति का परिवीक्षण, मूल्यांकन और योजना आयेाग से संगत जानकारी एकत्रित करना ।
8. अनुसंधान तथा प्रशिक्षण ।
9. योजना आयोग से संबंधित समस्त विषय ।
10. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर सांख्यिकी तथा आर्थिक अन्वीक्षा से संबंधित समस्त विषय ।
11. सामाजिक सर्वेक्षण तथा अन्वीक्षा ।
12. औद्योगिक सांख्यिकी जिसमें औद्योगिकी सांख्यिकी अधिनियम, 1948 तथा सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 यथा संशोधित अधिनियम, 2008 का प्रशासन शामिल है
13. आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसंधान का प्रकाशन और प्रसार तथा उसके परिणामों का प्रकाशन ।
14. अन्य विभागों को सौंपे गये विषयों को छोड़कर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से संबंधित समस्त विषय ।
15. जन अभियान परिषद से सम्बन्धित विषय ।
16. बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
17. महाकौशल विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
18. विन्ध्य विकास प्राधिकरण से संबंधित कार्य ।
19. विधान सभा क्षेत्र विकास योजना निधि से संबंधित विषय ।
20. विधायक स्वेच्छानुदान निधि से संबंधित समस्त विषय।
21. राज्य, जिला, नगर, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय दीनदयाल अन्तयोदय समितियो से संबंधित क्रिया कलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग कार्य ।
22. यू.आई.डी.ए.आई – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की आधार नम्बर परियोजना से संबंधित समस्त कार्य ।
23. ऐसी सेवाओं से संबद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर उदाहरणार्थ – नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड, अभ्यावेदन तथा अपीलें) ।

24. प्रदेश में सांख्यिकी कार्य में समन्वय, उसमें एकरूपता एवं गुणवत्ता बनाये रखने के लिये तथा एक सक्षम सांख्यिकी तंत्र के विकास हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य/विषय ।
25. केन्द्रावर्तित योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन एवं नियंत्रण।
26. जन भागीदारी योजना से सम्बन्धित कार्य ।

4. अधिनियम तथा नियम –

1. जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969
2. मध्यप्रदेश विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियम, 2008
3. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 1953 यथा संशोधित अधिनियम 2008
4. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19, सन् 1995)
5. मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1973 संशोधित नियम 1999
6. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति निर्वाचन नियम, 1995
7. मध्यप्रदेश जिला योजना उप समितियां (संरचना, कार्य, सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1995
8. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (यात्रा भत्ता) नियम, 1995
9. मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम 1999
10. औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम, 1948)
11. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (वर्ष 2007 तक संशोधित)
12. मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1991 (वर्ष 2007 तक संशोधित)

5. विभाग के अधीन सेवायें –

1. मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग सेवा ।
2. मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकी (राज पत्रित) सेवा
3. मध्य प्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यपालिक सेवा ।
4. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी अनुसचिवीय सेवा।
5. मध्यप्रदेश आर्थिक एवं सांख्यिकी चतुर्थ श्रेणी सेवा।

6. वित्तीय प्रावधान एवं व्यय –

वर्ष 2013–2014 में स्वीकृत बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

(लाख रूपयों में)

क्र	योजना शीर्ष	स्वीकृत बजट प्रावधान (2013–14)	पुनरीक्षित अनुमान (2013–14)	वास्तविक व्यय (31–03–14)	प्रस्तावित बजट 2014–15
1.	**राज्य योजना आयोग**				
1	राज्य योजना आयोग का सुदृढ़ीकरण	-	-	-	-
2	विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढ़ीकरण	1500.00	_	40.57	1250.00
3	नवाचार प्रोत्साहन	1100.00	_	90.43	600.00
4	जिला नवाचार कोष 13 वें वित्त आयोग	_	_	_	2500.00
5	योजना समीक्षा प्रकोष्ठ	300.00	_	70.00	300.00
	योग – राज्य योजना आयोग	**2900.00**	**_**	**201.00**	**4650.00**
	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय				
2.	**मांग संख्या–31 शीर्ष– 3454**				
	अ– आयोजनेत्तर				
1	राज्य की सांख्यिकी अद्योसंरचना को मजबूत करना (13 वां वित्त आयोग)	1000.00	1000.00	265.52	1000.00
2	दीनदयाल अन्त्योदय समितियों के सदस्यों को यात्रा भत्ता	5.00	5.00	_	5.00
3	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	4422.67	4451.83	3057.84	4954.62
4	जन्म–मृत्यु सांख्यिकी	398.72	398.72	215.76	443.42
5	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	271.02	271.02	126.64	302.52
	योग अ – आयोजनेत्तर	**6097.41**	**6126.57**	**3665.76**	**6705.56**
मांग संख्या–60 मुख्य लेखा शीर्ष– 2515					
1	5272–विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता	1848.00	1848.00	1847.03	1848.00
	योग (ब) आयोजनेत्तर	**1848.00**	**1848.00**	**1847.03**	**1848.00**
	योग आयोजनेत्तर (अ+ब)	**7945.41**	**7974.57**	**5512.79**	**8553.56**
1	6562–जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 का प्रभावी कार्यान्वयन	50.00	50.00	20.06	50.00
2	6564–जिला सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	25.00	25.00	-	50.00
3	8740–जीवनांक संभाग का सुदृढ़ीकरण	400.00	400.00	39.30	200.00
4	8808–सूचना प्रौद्योगिकी	10.00	10.00	2.17	20.00
5	0512–आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाए	45.00	45.00	45.00	300.00
6	7300 स्व. सुशीलचन्द्र वर्मा पुरूस्कार योजना	00.01	00.01	-	00.01
7	7383 आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकारण	519.00	519.00	-	0.04
8	0801 केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य 6612 छटवीं आर्थिक गणना	3893.03	3863.87	3235.42	-
9	9026 बुनियादि सांख्यिकी सेवाऐ	-	46.07	-	-
10	आधारभूत सर्वेक्षण (बेस लाईन सर्वे)	-	-	-	100.00
स	**योग राज्य आयोजना (सामान्य)**	**4942.04**	**4958.95**	**3341.95**	**620.06**

क्र	योजना शीर्ष	स्वीकृत बजट प्रावधान (2013–14)	पुनरीक्षित अनुमान (2013–14)	वास्तविक व्यय (31–03–14)	प्रस्तावित बजट 2014–15
	मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना				
	सामान्य (60)	11473.00	11473.00	10945.79	11473.00
	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (41)	3619.00	3619.00	3605.36	3619.00
	अनुसूचित जाति उपयोजना (64)	2695.00	2695.00	2566.09	2695.00
द	**8284– मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना**	**17787.00**	**17787.00**	**17117.24**	**17787.00**
	जन अभियान परिषद				
	मांग संख्या–31	4000.00	4100.00	3994.00	3315.00
	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (41)	-	-	-	1160.00
	अनुसूचित जाति उपयोजना (64)	-	-	-	825.00
ई	**योग 6270–जन अभियान परिषद**	**4000.00**	**4100.00**	**3994.00**	**5300.00**
	विन्ध्य विकास प्राधिकरण				
	माग संख्या–31	78.06	78.06	36.17	82.06
	सामान्य – 60	517.94	517.94	407.02	627.94
फ	**योग योजना 5775**	**596.00**	**596.00**	**443.19**	**710.00**
	महाकौशल विकास प्राधिकरण				
	माग संख्या–31	74.72	74.72	20.87	74.72
	60–सामान्य	575.28	575.28	575.28	635.28
फ	**योग योजना 5774**	**650.00**	**650.00**	**596.15**	**710.00**
	बुंन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण				
	माग संख्या–31	71.00	71.00	28.97	71.00
	60–सामान्य	579.00	579.00	579.00	639.00
फ	**योग योजना 5110**	**650.00**	**650.00**	**607.97**	**710.00**
	जनभागीदारी योजना				
	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	6250.00	6250.00	5850.03	5420.00
	60–सामान्य	7780.00	7780.00	6443.79	7730.00
	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	3690.00	3690.00	3562.24	2500.00
ग	**योग– जन भागीदारी**	**17720.00**	**17720.00**	**15856.06**	**15650.00**
	6268 यू.आई.डी. के लिए प्रोत्साहन				
	माग संख्या–31	4994.00	4994.00	_	3119.00
	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना				1095.00
	64–अनुसूचित जाति उपयोजना				780.00
घ	**योग– यू.आई.डी. के लिए प्रोत्साहन**	**4994.00**	**4994.00**	**-**	**4994.00**
	0801 केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना सामान्य				
	N 1286 सांख्यिकी अनुदान				
	माग संख्या–31	–	–	–	8445.00
	41–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	–	–	–	2955.00
	64–अनुसूचित जाति उपयोजना	–	–	–	2100.00
ड	**योग– सांख्यिकी अनुदान**				**13500.00**
	महायोग	**62184.45**	**59430.52**	**47670.35**	**73184.62**

अध्याय – 2
राज्य योजना आयोग

1. विभागीय संरचना :

राज्य के योजनाबद्ध तरीके से सर्वांगीण विकास करने राज्य के संसाधनों का आंकलन कर उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने, सामाजिक व आर्थिक विकास की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करने तथा योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के सतत् अनुश्रवण, मूल्यांकन व पुनरावलोकन करने के उदेद्श्य से राज्य योजना मण्डल का गठन दिनांक 24.10.1972 को एक संकल्प द्वारा किया गया था। दिनांक 21.09.2007 को इसका नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–9–9/2004/23/यो.आ.सां./भोपाल, दिनांक 27.06.2008 के द्वारा राज्य योजना आयोग का पुर्नगठन किया गया है, जिसके अनुसार आयोग का स्वरूप इस प्रकार है :–

राज्य योजना आयोग का स्वरूप

1.	मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री बाबूलाल जैन	–	उपाध्यक्ष
3.	मंत्री, वित्त एवं योजना, म.प्र. शासन	–	सदस्य
4.	मंत्री, अनुसूचित जाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
5.	मंत्री, अनुसूचित जनजाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
6.	मुख्य सचिव, म.प्र. शासन	–	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वित्त, म.प्र. शासन	–	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति, म.प्र. शासन	–	सदस्य
10.	श्री रामहित गुप्त, सतना	–	अंशकालीन सदस्य
11.	श्री शरद चन्द जैन, इन्दौर	–	अंशकालीन सदस्य
12.	श्री विनोद मिश्र, जबलपुर	–	अंशकालीन सदस्य
13.	श्री पूरन चन्द अणवानी, बालाघाट	–	अंशकालीन सदस्य
14.	श्री सुधीर गुप्ता, मन्दसौर	–	अंशकालीन सदस्य
15.	श्री प्रीतमलाल दुआ, इन्दौर	–	अंशकालीन सदस्य
16.	श्रीमती सावित्री सिंह, दतिया	–	अंशकालीन सदस्य
17.	अपर मुख्य सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, म.प्र. शासन	–	सदस्य सचिव

राज्य योजना आयोग के स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति (31 जनवरी, 2014 की स्थिति में)

क्र	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	उपाध्यक्ष	म.प्र. शासन द्वारा मनोनीत, निर्धारित शर्तो पर	1	1	—	—
विभागाध्यक्ष						
1.	सदस्य सचिव	संवर्गीय भा.प्र.से. वेतनमान	1	1	—	—
प्रथम श्रेणी						
2.	अपर सचिव / उप सचिव	37400—67000 / — विशेष वेतन	1	1	—	—
3.	अवर सचिव	15600—39100	1	1	—	—
4.	प्रमुख सलाहकार	67,000—79,000 / - संवर्गीय वेतनमान	1	1	—	—
5.	सलाहकार	37400—67000 / — संवर्गीय वेतनमान	1	1	—	—
द्वितीय श्रेणी						
6.	सहायक सलाहकार	15600—39100	4	4	—	—
7.	लेखाधिकारी	15600—39100	1	1	—	—
8.	प्रशासकीय अधिकारी	15600—39100	1	1	—	—
तृतीय श्रेणी						
9.	निज सचिव	9300—34800	2	2	—	—
10.	निज सहायक	9300—34800	3	3	—	—
11.	शीघ्रलेखक श्रेणी—3	5200—20200	2	—	2	—
12.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	9300—34800	3	2	1	—
13.	अन्वेषक	5200—20200	7	4	3	01 प्रतिनियुक्ति पर वन विभाग में
14.	लेखापाल	5200—20200	1	1	—	—
15.	सहायक ग्रेड—1	5200—20200	2	1	1	—
16.	सहायक ग्रेड—2	5200—20200	4	3	1	01 प्रतिनियुक्ति पर ऊर्जा विभाग में
17.	सहायक ग्रेड—3	5200—20200	6	5	1	—
18.	सुरक्षा गार्ड	5200—20200	4	4	—	3 सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था सुरक्षा एजेन्सी के माध्यम से की जा रही है।
19.	वाहन चालक	5200—20200	5	5	—	—
20.	जमादार / दफतरी	4440—7440	5	5	—	—
21.	भृत्य	4440—7440	12	12	—	—
22.	स्वीपर	4440—7440	1	1	—	—
23.	फर्राश	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	1	—	—
24.	पार्ट टाईम स्वीपर	जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दर पर	1	—	1	—
		योग	**71**	**57**	**14**	**—**

राज्य योजना आयोग के अंतर्गत गठित विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति
(31 जनवरी, 2014 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
1.	प्रमुख सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान (67,000–79,000) अ.भा.से.	01	01	–	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी पदस्थ है।
2.	सलाहकार	संवर्गीय वेतनमान सुपर टाइम स्केल (सचिव स्तर) अ.भा.से.	01	01	–	लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता स्तर के अधिकारी पदस्थ है।
3.	रिसर्च एसोसियेट तृतीय श्रेणी	9,300–34,800	02	–	02	एक पद संविदा से तथा एक पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है।
4.	निज सचिव (हिन्दी)	संविदा पर	01	01	–	सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के माध्यम से कलेक्टर रेट पर सेवायें ली जा रही हैं।
5.	निज सहायक (अंग्रेजी)	संविदा पर	02	02	–	
6.	सहायक प्रोग्रामर	संविदा पर	01	01	–	
7.	भृत्य	संविदा पर	04	04	–	
		योग	12	10	02	

2. **राज्य योजना आयोग के दायित्व –**

राज्य योजना आयोग के द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते है :–

(1) राज्य के संसाधनों का आंकलन एवं इनके समुचित उपयोग हेतु योजनायें तैयार करना ।

(2) जिला योजना तैयार करने एवं इसको राज्य की योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला योजना अधिकारियों को सहायता प्रदान करना ।

(3) राज्य की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाना एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु सुझाव देना ।

(4) योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरावलोकन, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करना और आवश्यकतानुसार नीतियों/उपायों में ऐसे समायोजनों की अनुशंसा करना ।

(5) योजनाओं की प्राथमिकतायें निर्धारित करना ।

(6) योजनाओं की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के लिये गठित विभिन्न वित्तीय समितियों की बैठकों में भाग लेकर योगदान देना ।

3. विभागीय पदोन्नति

राज्य योजना आयोग का जिला मुख्यालयों पर कोई अमला पदस्थ नहीं है। मुख्यालय में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत् 1 सहायक श्रेणी–3 कर्मचारी को लेखापाल के पद पर तथा 1 भृत्य को जमादार के पद पर पदोन्नत किया गया है।

4. विभागीय जांच

राज्य योजना आयोग में किसी भी श्रेणी का विभागीय जॉच प्रकरण लंबित नहीं है ।

5. नियुक्ति/स्थानांतरण

राज्य योजना आयोग स्तर पर स्थानांतरण नहीं किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के तहत् बैकलॉग के रिक्त पद की पूर्ति सीधी भरती एवं पदोन्नति से की गई है।

6. न्यायालयीन प्रकरण

राज्य योजना आयोग में कोई न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं है। प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने, जवाबदावा प्रस्तुत करने या अन्य कार्यवाही के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

7. संसदीय कार्य/विधि विषयक

दिनांक 31.12.2013 की स्थिति में कोई विधेयक, शून्य कालीन लंबित नहीं है।

8. राज्य योजना आयोग के प्रमुख कार्य एवं गतिविधियाँ :

8.1 राज्य योजना :–

राज्य योजना आयोग द्वारा योजना आयोग, भारत सरकार के दृष्टिकोण पत्र के मद्देनजर एवं राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना के प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के लिये रूपये 2,01,862 करोड़ एवं वार्षिक योजना 2013–14 के लिये रूपये 35500 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गई है। वर्ष 2014–15 हेतु रूपये 53365.70 करोड़ की योजना सीमा अनुमानित प्रस्तावित है जिसमें केद्रांश भी शामिल किया गया है।

राज्य योजना आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना है।

8.2 जिला योजना –

मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिये गए निर्णय अनुसार वर्ष 2012–13 से जिला स्तर पर योजना तैयार की जाकर राज्य स्तर पर जिलेवार, संभागवार व योजनावार समीक्षा करने का कार्य प्रांरभ किया गया है। राज्य योजना आयोग के मार्गदर्शन में समस्त जिलों की जिलेवार योजना वर्ष 2012–13 तैयार की गई है। जिलों की प्रस्तावित योजनाओं पर उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग से चर्चा उपरांत वार्षिक योजना 2013–14 की रूपये 11757.14 करोड़ की योजना सीमा अनुमोदित की गई है।

विकेन्द्रीकृत जिला योजना की प्रक्रिया में वर्ष 2009 में प्रदेश के 5 जिलों को प्रतिदर्श के रूप में भारत सरकार–राष्ट्र कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत् चुना गया। तत्पश्चात् वर्ष 2010 से प्रदेश के 50 जिलों में विकेन्द्रीकृत जिला योजना व्यवस्था लागू की गई है।

8.3 जिला योजना समिति :–

संविधान के 73 वें संशोधन के संदर्भ में प्रदेश में त्रि–स्तरीय पंचायतों का गठन तथा नगरीय निकायों को भी जीवंत स्वरूप दिया गया है। जिले एवं निचले स्तर से नियोजन कार्य के लिये व्यवस्था निर्मित करने के लिये राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद–243 य, घ के अंतर्गत जिला योजना समितियों का प्रावधान किया गया है, जिनके अध्यक्ष राज्य शासन के द्वारा नामांकित मंत्री है। समिति में जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य सहित 10 से 20 सदस्य होंगे। जिलाध्यक्ष समिति के सदस्य सचिव हैं। इनके अतिरिक्त लोक सभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य विशेष आमंत्रित के रूप में समिति के सम्मेलनों में सम्मिलित होते है। जिला योजना समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उप–समितियां गठित कर सकेगी। विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित यह उपसमितियाँ उनके क्षेत्रान्तर्गत कराये जा रहे कार्यो/प्रयासों की निरन्तर समीक्षा एवं मॉनीटरिंग करने के साथ–साथ अपने विषयों से संबंधित सुझाव दे सकेगी।

9. वेबसाईट :

राज्य योजना आयोग से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाईट **http://mpplanningcommission.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है ।

10. नवाचार को प्रोत्साहन –

प्रदेश में शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों द्वारा नीति में विभिन्न स्तरों पर सृजनात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2007–08 से नवाचार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में नवाचार प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्राप्त बजट आवंटन रू. 11.00 करोड़ के विरूद्ध रू. 4.20 करोड़ व्यय हुए। वर्ष 2013–14 में प्राप्त बजट आवंटन रू. 6.00 करोड़ के विरूद्ध रू. 55.00 लाख दिनांक 31.01.2014 तक व्यय किए गए। वर्ष 2014–15 हेतु इस मद रूपये 400.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

11. विकेन्द्रीकृत जिला योजना का सुदृढ़ीकरण –

प्रदेश में यह योजना वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ की गई है। वित्त वर्ष 2012–13 में इस योजनान्तर्गत रू. 1500.00 लाख के विरूद्ध रू. 122.00 लाख का व्यय किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु इस योजनान्तर्गत रू. 1000.00 लाख के विरूद्ध रू. 116.00 लाख व्यय 31.01.2014 तक किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 हेतु रूपये 500. 00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

12. राज्य योजना आयोग में विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ (Special Area Cell) का गठन –

भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए वर्ष 2010–11 से एकीकृत कार्य योजना लागू की गई है। मध्यप्रदेश में 10 नक्सल प्रभावित जिलों की सुरक्षा एवं प्रशासन को एकत्रित कर त्वरित विकास की दृष्टि से मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग में विशेष क्षेत्र प्रकोष्ठ (Special Area Cell) का गठन किया गया है ।

मार्च 2014 तक कुल 12908 स्वीकृत प्रोजेक्ट कार्यों में से 12866 विकास कार्य लिए गये हैं । जिसके विरूद्ध 10014 कार्य पूर्ण किये गये हैं शेष 2852 कार्य प्रगति पर है । उक्त कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा रू. 88838.08 लाख की राशि विमुक्त की गई है । जिसमें से 77873.80 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है ।

13. जिला नवाचार कोष (13 वां वित्त आयोग) –

राज्य योजना आयोग के अधीन जिला–स्तरीय नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में रु. 2500.00 लाख का प्रावधान अनुमोदित किया गया था वित्त विभाग की सहमति से समस्त राशि आहरित कर ''के'' डिपोजिट में रखी गई थी। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2012–13 में सम्पूर्ण राशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु 2500.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

14. योजना समीक्षा प्रकोष्ठ –

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा म.प्र. राज्य योजना आयोग में संचालित गरीबी अनुश्रवण तथा नीति सहायता इकाई हेतु योजना समीक्षा प्रकोष्ठ मद अन्तर्गत प्रकोष्ठ हेतु वर्ष 2012–13 में 300.00 लाख का प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्ध रू. 66.00 लाख का व्यय हुआ। वित्तीय वर्ष 2013–14 में रूपये 400.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ जिसके विरूद्ध 31 जनवरी, 2014 तक 102.68 लाख का व्यय किया जा चुका है। वर्ष 2014–15 हेतु रूपये 300.00 लाख प्रावधान रखा गया है।

15. आधार नम्बर परियोजना :

प्रदेश में आधार इनरोलमेंट हेतु नोडल विभाग योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है। प्रदेश में आधार इनरोलमेंट का कार्य वर्ष 2009–10 में स्टेट रजिस्ट्रार (आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण) के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुरूप 726 लाख निवासियों का आधार हेतु इनरोलमेंट किया जाना है। आयुक्त, खाद्य के माध्यम से मात्र 70 लाख निवासियों के ही आधार नंबर जारी किये गये है।

प्रदेश में अब तक की स्थिति में 520 लाख निवासियों को आधार हेतु इनरोल किया जा चुका है तथा इसके विरूद्ध 458 लाख निवासियों को विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, योजना आयोग, भारत सरकार के माध्यम से आधार नंबर जारी किये गये है। अभी भी प्रदेश से लगभग 270 लाख निवासियों को आधार हेतु इनरोल किया जाना शेष है।

अध्याय – 3

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

राज्य में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण, विविध विषयों पर समंकों का एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण का कार्य आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा सम्पादित किया जाता है।

2. आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के दायित्व :

शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, विकास से संबंधित आधारभूत समंकों का संकलन तथा प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि के द्वारा समाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने का महत्वपूर्ण दायित्व आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय का है। राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश क्रमांक एफ–19–124/2009/1/4, दिनांक 3–11–2009 द्वारा सांख्यिकी गतिविधियों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं राज्य में सांख्यिकी समन्वय के लिये आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को नोडल ऐजेन्सी घोषित किया गया है । मध्यप्रदेश शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ–10–6/08/23/ योआसा भोपाल दिनांक 31.03.2008 द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना का कियान्वयन एवं नियंत्रण विषयक कार्य राज्य योजना आयोग के स्थान पर आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी को सौंपा गया । इसी प्रकार वर्ष 2009 से जन भागीदारी योजना का कियान्वयन एवं नियंत्रण आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा किया जा रहा है।

राज्य शासन ने आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) का दायित्व भी सौंपा है, इसके साथ ही साथ आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य रजिस्ट्रार, विवाह पंजीयन का दायित्व भी सौंपा गया है उपरोक्त के परिपालन में संचालनालय द्वारा प्रदेश में जन्म–मृत्यु पंजीयन तथा विवाह पंजीयन का कार्य ग्रामीण एवं नगरीय इकाईयों के माध्यम से कराया जा रहा है ।

3. संचालनालय के प्रमुख कार्य :

1. राज्य की अर्थव्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा इससे संबंधित प्रकाशन तैयार करना ।

2. राज्यीय आय के आधार वर्ष 2004–05 स्थिर एवं प्रचलित भावों पर सकल एवं शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना ।
3. राज्य शासन के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण तैयार करना ।
4. गणना एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य ।
5. जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य ।
6. विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन नियम 2008 के तहत विवाह पंजीयन कार्य
7. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य ।
8. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना ।
9. समाजार्थिक विकास के अर्न्तराज्यीय, जिला एवं जनपदवार संकेतक तैयार करना ।
10. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन के अंतर्गत शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की गणना ।
11. राज्य के विभिन्न विभागों/संस्थाओं की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना तथा उनकी सांख्यिकी परियोजनाओं/कार्यक्रमों की जांच एवं परीक्षण करना है ।
12. राज्य, जिला, नगर, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय दीनदयाल अन्तयोदय समितियो से संबंधित क्रिया कलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग कार्य करना है।
13. केन्द्रावर्तित योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का कियान्वयन एवं नियंत्रण।
14. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर सांख्यिकी का संकलन (BSLLD)
15. 13 वें एवं 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने संबंधि कार्य।
16. राज्य सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना का कार्य।

4. विभागीय संरचना :

संचालनालय, संभागीय तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों का सेटअप

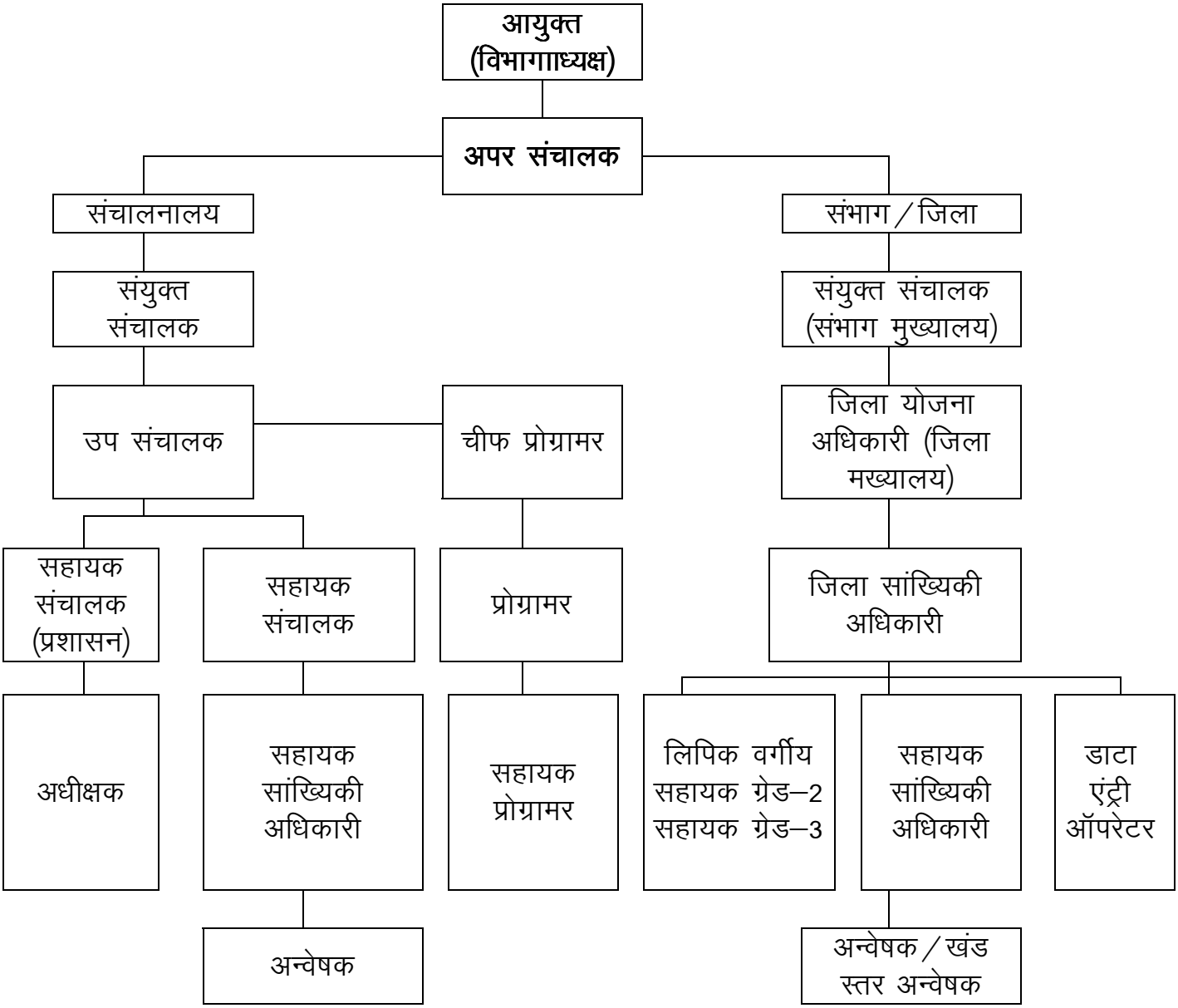

संचालनालय, संभाग/जिला स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर तथा अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अमले का विवरण निम्नानुसार है

(अप्रैल 2014 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
राजपत्रित प्रथम श्रेणी						
1.	आयुक्त	PB-4 Rs. 37400-67000+Rs. 10000	01	01	00	
2.	अपर संचालक	PB-4 Rs. 37400-67000+Rs. 8700	01	01	00	
3.	संयुक्त संचालक	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 7600	11	11	01	01 अधिक
4.	उप संचालक/जिला योजना अधिकारी	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 6600	47	10	37	1 वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद पर प्रति पर 1 अधि. निलम्बित
5.	चीफ प्रोग्रामर	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 6600	01	01	00	
द्वितीय श्रेणी अधिकारी						
1.	जिला सांख्यिकी अधिकारी/सहा. संचालक	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 5400	68	28	40	
2.	प्रोग्रामर	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 5400	04	02	02	
3.	लेखाधिकारी	PB-3 Rs15600-39100+Rs. 5400	01	01	00	
4.	सहायक संचालक (प्रशा.)	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 4200	01	00	01	
5.	वरिष्ठ निज सहायक	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 4200	01	01	00	
तृतीय श्रेणी						
1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600	340	247	93	10 प्रति. पर पदस्थ
2.	अन्वेषक/खण्ड स्तर अन्वेषक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400 (01.04.06 से PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800)	360	121	239	2 प्रति पर पदस्थ
3.	संगणक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2100	09	09	.00	09 पद सांख्येतर
4.	सहायक प्रोग्रामर	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 4200 (01.04.06 से PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600)	14	02	12	
5.	अधीक्षक	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600	04	00	04	
6.	सहायक ग्रेड–1	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	09	06	03	
7.	सहायक ग्रेड–2	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400	64	45	19	
8.	सहायक ग्रेड–3	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	128	84	44	
9.	वरिष्ठ निज सहायक	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600	01	01	.00	

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	रिमार्क
10.	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400	03	03	00	
11.	शीघ्रलेखक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	13	15	03	05 आधिक्य साख्येतर
12.	स्टेनोटायपिस्ट	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	19	08	11	
13.	पुस्तकाध्यक्ष	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	01	00	01	
14.	वरिष्ठ कलाकार	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3200 (01.04.06 से PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3600)	01	01	00	01 सांख्येतर
15.	कलाकार	PB-2 Rs 9300-34800+Rs. 3200 (01.04.06 से PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2400)	01	01	00	01 सांख्येतर
16.	पंचरूम सुपरवाईजर	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 2800	01	00	01	
17.	वाहन चालक	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	40	30	10	
चतुर्थ श्रेणी						
1.	सुपरवाईजर	PB-1 Rs 5200-20200+Rs. 1900	01	00	01	
2.	दफ्तरी	IS-1 Rs 4440-7440+Rs. 1400	03	00	03	
3.	मशीन मेन	IS-1 Rs 4440-7440+Rs. 1400	01	01	00	01 सांख्येतर
4.	भृत्य	IS-1 Rs 4440-7440+Rs. 1300	137	100	40	03 सांख्येतर
आकस्मिकता निधि						
1.	स्वीपर कम फर्राश	कलेक्टर रेट	12	10	02	10 सांख्येतर
2.	चौकीदार	कलेक्टर रेट	02	.	02	
3.	वाहन चालक	कलेक्टर रेट	05	02	03	
		योग	**1301**	**782**	**519**	

संचालनालय स्तर पर गठित संभाग/ईकाईयां

संचालनालय स्तर पर गठित संभाग/ईकाईयों का कार्य पदस्थ संयुक्त संचालकों एवं उप संचालकों व्दारा सम्पन्न किया जा रहा है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय
में कार्यरत तकनीकी एवं प्रशासनिक संभागों के कार्यों का विवरण

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
1	प्रशासन	1. सामान्य प्रशासन, स्थापना, लेखा तथा लेखा परीक्षण
2	राज्यीय आय	1. राज्य तथा जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करना
		2. कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं अनुसंधान/विश्लेषणात्मक अध्ययन
3	औद्योगिक एवं खनिज सांख्यिकी	1. औद्योगिक, खनिज एवं ऊर्जा सांख्यिकी का एकत्रीकरण
		2. औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों का निर्माण तथा औद्योगिक अनुसूचियों की परीनिरीक्षा
4	आर्थिक विश्लेषण	1. राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण/समीक्षा तैयार करना
		2. क्षेत्रीय सामाजार्थिक विकास संकेतांक तैयार करना
5	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण/सारणीयन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
		2. आर्थिक गणना
6	राज्यीय सर्वेक्षण	1. शासन के कल्याणकारी योजनाओं का सामाजार्थिक सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रतिवेदन तैयार करना
7	सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सांख्यिकी समन्वय स्थापित करना
		2. विभागीय योजनाएं तैयार करना
		3. प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन आदि के लिये नामांकन एवं अनुवर्तन कार्यवाही
8	सामाजिक एवं विविध सांख्यिकी	1. गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी, स्वास्थ्य परिवार तथा समाज कल्याण, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पर्यावरण, मनोरंजन, जेल, न्यायपालिका, पुलिस, अपराध, श्रम रोजगार तथा विविध सांख्यिकी का एकत्रीकरण एवं सांख्यिकी कोष का निर्माण
		2. मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों की गणना
9	पूंजी निर्माण	1. पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
		2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण
10	लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययकों का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण
		2. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं का सांख्यिकी एकत्रीकरण

क्र.	संभाग का नाम	कार्य विवरण
11	मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार	1. थोक तथा फुटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा तथा बाजार समाचार अध्ययन
12	सूचना प्रौद्योगिकी एवं समंक सारणीयन	1. समंकों का कम्पयूटरीकरण 2. संचालनालय के प्रकाशनों पर कम्प्यूटर पर संधारण
13	जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिनियम, 1969 एवं नियम 1999 का प्रभावी क्रियान्वयन तथा वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 2. मृत्यु के कारणों का अंर्तराष्ट्रीय प्रमाण पत्र 3. विवाह पंजीयन अधिनियम 2008 के अन्तर्गत विवाहों का पंजीयन कराना
14	पुस्तकालय	1. आर्थिक, सांख्यिकी तथा सामाजार्थिक सांख्यिकी से संबंधित पुस्तकों/प्रकाशनों का रखरखाव
15	सांख्यिकी प्रकाशन	1. राज्य स्तरीय नियमित एवं तदर्थ सांख्यिकी प्रकशनों को तैयार करना एवं प्रकाशित करना
16	जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिला सांख्यिकी कार्यालयों का तकनीकी मार्गदर्शन/परामर्श देना तथा तकनीकी निरीक्षण 2. जिला स्तरीय प्रकाशनों की परिनिरीक्षा एवं गुणात्मक सुधार लाने के उपाय सुझाना
17	कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन संभाग	1. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना 2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 3. जनभागीदारी योजना उक्त तीनों योजनाओं का कियान्वयन एवं नियंत्रण करना।
18	विकास प्राधिकरण संभाग	1. बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण 2. विंध्य विकास प्राधिकरण 3. महाकौशल विकास प्राधिकरण

1. **प्रशासन :**

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिनस्थ 7 संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों में संयुक्त संचालकों को (प्रथम श्रेणी) एवं 38 जिलों में जिला योजना अधिकारी, (प्रथम श्रेंणी) तथा 5 जिलों में द्वितीय श्रेंणी अधिकारी कार्यालय प्रमुख घोषित है ।

1.1 **विभागीय पदोन्नतियां :**

दिनांक 01.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि में, तृतीय श्रेणी संवर्ग में 38 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है ।

1.2 **विभागीय जांच :**

संचालनालय स्तर पर 31 दिसंबर 2013 की स्थिति में कोई विभागीय जॉच प्रकरण प्रचलन में नहीं है ।

1.3 **स्थानांतरण :**

दिनांक 1.01.2013 से 31.12.2013 तक की अवधि में प्रथम श्रेणी अधिकारी निरंक, 02 द्वितीय श्रेणी अधिकारी, 16 तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं अनुसचिवीय संवर्ग एवं 05 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण किये गये है ।

1.4 **न्यायालयीन प्रकरणों की स्थति :**

दिनांक 01.01.2013 से दिनांक 31.12.2013 तक कुल 10 न्यायालयीन प्रकरण दायर हुये हैं । 05 प्रकरणों में जवाबदावा प्रेषित किया जा चुका है, एवं 03 प्रकरण में जबाबदाबा प्रस्तुत करने की कार्यवाही प्रचलन में है ।

1.5 **संसदीय एवं विधि विषयक कार्यो की जानकारी :**

दिनांक 31.12.2013 तक 29 विधानसभा प्रश्न प्राप्त हुए थे, जिनमें 13 अतारांकित एवं 16 तारांकित प्रश्न थे । प्राप्त सभी 29 विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किये गये हैं । कोई विधेयक, शून्य कालीन सूचना, अपूर्ण उत्तर लंबित नहीं है ।

2. राज्यीय आय

राज्य घरेलू उत्पाद (राज्यीय आय) के अनुमान :

राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन करने के उद्देश्य से संचालनालय द्वारा प्रतिवर्ष राज्य घरेलु उत्पाद के अनुमान एवं प्रति व्यक्ति आय के अनुमान प्रावधिक, त्वरित एवं अग्रिम अनुमान प्रचलित एवं स्थिर भावों पर तैयार किये जाते हैं । राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमानों की गत श्रंखला (1999–2000) को नवीन श्रंखला आधार वर्ष (2004–05) से प्रतिस्थापित किया गया है ।

वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.08 प्रतिशत की वृद्धि स्थिर (2004–05) भावों पर आकलित की गई। वर्ष 2012 –

13 (त्वरित) के रू. 214741 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) रू. 238526 करोड़ अनुमानित है । वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 11.31 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है जो कि वर्ष 2012–13 के शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रू. 188480 करोड़ की तुलना में 209806 करोड़ अनुमानित है।

वर्ष 2013–14 में (अग्रिम अनुमान) के लिये प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय स्थिर (2004–05) भावों पर रू 27917 आंकलित की गयी है जो गत वर्ष 2012–13 (त्वरित) रू 25463 की तुलना में 9.64 प्रतिशत अधिक है । प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012–13 (त्वरित) के रू. 44989 से बढ़कर वर्ष 2013–14 (अग्रिम अनुमान) में रू. 54030 अनुमानित है। यह वृद्धि 20.10 प्रतिशत रही है ।

3. औद्योगिक एवं खनिज सांख्यिकी :

मध्य प्रदेश की चयनित औद्योगिक इकाईयों से माहवार वर्ष 2014–15 के उत्पादन के आकडें एकत्रित करना एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करना प्रस्तावित है।

4. आर्थिक विश्लेषण संभाग :

प्रदेश में कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2013 में विधानसभा के बजट सत्र में बजट के एक दिन पूर्व प्रस्तुत किया गया । कृषि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2013 विभाग द्वारा तैयार किया जाकर बजट सत्र में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों द्वारा अनुदान मांगों पर चर्चा से पूर्व विधानसभा में प्रस्तुत किया गया । वर्ष 2013–14 का कृषि आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा के बजट सत्र जून–जुलाई 2014 में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

5. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संभागः

5.1 गणना एवं सर्वेक्षण कार्य :

प्रति वर्षानुसार 1 जनवरी 2013 से राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के 70 वें दौर का कार्य राज्य में प्रारम्भ किया गया । इस सर्वेक्षण में 3–3 माह के 4 उपदौरों को मिलाकर सर्वेक्षण का मैदानी कार्य 31 दिसम्बर 2013 तक पूर्ण किया गया। यह सर्वेक्षण मुख्यतः भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता, ऋण एवं निवेश तथा कृषक परिवारों की स्थिति के आकलन हेतु किया गया। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत राज्य में 250 ग्रामीण तथा 192 नगरीय कुल 442 न्यादर्शो को सर्वेक्षण किया गया है। कार्य में एकरूपता एवं गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 7 संभागों के लिए 3 परिनिरीक्षा शिविरों का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा भाग लेकर परिनिरीक्षा कार्य के साथ आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।

70 वें दौर के मैदानी कार्य के अतिरिक्त 66 वें दौर तक का डाटा एन्ट्री वेलिडेशन कार्य संभाग स्तर पर पूर्ण किया गया है। 67 वें दौर से 69 वें दौर की डाटा एन्ट्री का कार्य संभाग स्तर पर किया जा रहा है। जनवरी 2014 से 71 वें दौर का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें सामाजिक उपभोग, स्वास्थ्य, एवं शिक्षा पर सर्वेक्षण किया जाना हैं। यह सर्वेक्षण कार्य 3 माह में 2 उपदौरों में किया जाना है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ के मार्गदर्शन में तृतीय रोजगार बेरोजगार का सर्वेक्षण आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा पूर्ण किया गया। राज्य में 408 ग्रामीण, 320 नगरीय इस प्रकार कुल 728 न्यादर्शो का चयन कर सर्वेक्षण किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा तृतीय रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण का प्रतिवेदन जारी किया गया है।

इसी क्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार श्रम ब्यूरों चंडीगढ़ के द्वारा चौथे दौर के सर्वेक्षण के अंतर्गत आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को नोडल अभिकरण नियुक्त किया गया है। संचालनालय द्वारा दिनांक 30.12.2013 को इस सर्वेक्षण के मैदानी अमले हेतु राज्य स्तरीय प्रशिक्षिण का आयोजन मुख्यालय भोपाल में किया गया। सर्वेक्षण का मैदानी कार्य जनवरी 2014 से 30 जून 2014 तक किया जावेगा। इस सर्वेक्षण में 420 ग्रामीण, 284 नगरीय, कुल 704 न्यादर्शो का सर्वेक्षण किया जाना है। इस बार न्यादर्शो की संख्या पिछले सर्वेक्षण से दो गुना है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में विधानसभा सामान्य निर्वाचन के पूर्वमतदाताओं का सर्वेक्षण मई 2013 में संचालनालय द्वारा किया गया। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक में से 10 मतदान केन्द्र का चयन कर उसमें से प्रत्येक केन्द्र के 5 पुरूष एवं 5 महिला मतदाताओं से जानकारी एकत्रित की गई। इस प्रकार कुल 23000 मतदाताओं की जानकारी के आधार पर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल मध्यप्रदेश के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया।

5.2 आर्थिक गणना :

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों की जानकारी संकलित करने के उद्देश्य से भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार भारत में प्रत्येक 5 वर्ष में आर्थिक गणना का आयोजन किया जाता है।

भारत में 6वीं आर्थिक गणना 2012–13 का सर्वेक्षण से संबंधित कार्य दिसम्बर, 2012 से जून–2013 के मध्य संपादित किया जाना था। भारत सरकार के निर्देशानुसार छठवी आर्थिक गणना का संचालन सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 के अंतर्गत किया गया है। आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को इस कार्य हेतु नोडल ऐजेन्सी नियुक्त किया गया है। मध्यप्रदेश में 6वीं आर्थिक गणना 2012–13 का सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्रीय कार्य 15 मई से 15 जून 2013 के मध्य सम्पन्न किया गया। क्षेत्रीय कार्य पूर्ण करने के पश्चात प्राप्त उद्यमों का आई.एस.आई कोडिफिकेशन का कार्य संपादित किया गया। माह अप्रैल 2014 तक समस्त अनुसूचियॉ जॉच उपरान्त भारत शासन को प्रेषित की जाने हेतु तैयार की गई।

छठवीं आर्थिक गणना के दौरान प्रदेश में वर्तमान में उघमों की कुल त्वरित प्रावधिक संख्या 2094869 लाख प्राप्त हुई जो कि पांचवी आर्थिक गणना–2005 की तुलना में 20.72 प्रतिशत अधिक है।

छठवीं आर्थिक गणना के दौरान प्रदेश में वर्तमान में उघमों में कार्यरत व्यक्तियों की कुल त्वरित प्रावधिक संख्या 4322399 लाख प्राप्त हुई।

5.3 बिजनेस रजिस्टर तैयार करना :

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश राज्य में उद्यमिक क्रियाकलापों से संबंधित एक बिजनेस रजिस्टर तैयार किया जाना है। 5वीं आर्थिक गणना–2005 में प्राप्त उद्यमों की सूची बिजनेस रजिस्टर तैयार करने का प्राथमिक आधार होगी। यह गतिविधि राष्ट्रीय स्तर पर मध्यप्रदेश सहित सभी राज्यों में प्रारंभ की जा रही हैं।

भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से लिए गए निर्णय के अनुसार राज्य में बिजनेस रजिस्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित का 7 प्रमुख अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत पंजीकृत उघमों को ही शामिल किया जाना हैः–

क्र.	निमय/अधिनियम	संबंधित पंजीकरण अभिकरण
1.	कंपनी अधिनियम 1956	कंपनी रजिस्ट्रार
2.	कारखाना अधिनियम 1948	चीफ इंसपेक्टर आफ फेक्टरीज
3.	दुकान एवं व्यवस्थापन अधिनियम	लेबर कमिश्नर
4.	समिति पंजीकरण अधिनियम	रजिस्ट्रार फर्मस एण्ड सोसायटीज

5. सहकारी समिति अधिनियम — पंजीयक सहकारी संस्थाएँ
6. खादी एवं ग्रामीण उघोग — खादी एवं ग्रामोघोग बोर्ड
7. उघोग संचालनालय/जिला उघोग केन्द्र — उघोग संचालनालय जिला उघोग केन्द्र

बिजनेस रजिस्टर की जानकारी के बेव आधारित आनलाईन संकलन करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, मध्यप्रदेश की सहायता से एक साफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है।

दिनांक 18 फरवरी 2014 को 13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में निर्धारित तिथि अनुसार दिनांक 18 मार्च 2014 तक प्रथम चरण का कार्य जिसमें 7 नियम/अधिनियम में पंजीकृत संस्थाओं की नाम पते की जानकारी जिला कार्यालयों द्वारा एकत्रित की गई। वर्तमान में प्रथम चरण में 7 नियम/अधिनियमों के तहत प्राप्त पंजीकृत संस्थाओं की अनुमानित संख्या निम्नानुसार हैः–

कारखाना अधिनियम 1948	दुकान व्यवस्थापन अधिनियम	कम्पनी अधिनियम 1956	समिति पंजीकरण अधिनियम	सहकारी समिति अधिनियम	उद्योग संचालनालय /जिला उद्योग केन्द्र	खादी एवं ग्रामीण उद्योग	योग
9362	541874	19514	21113	22952	97504	385	712704

दिनांक 29.05.2014 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित कर क्षेत्रीय कार्य 01 जून 2014 से प्रारंभ किया गया है। सर्वेक्षण से संबंधित क्षेत्रीय कार्य दिनांक 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

6. समन्वय एवं प्रशिक्षण :

6.1 प्रो. पी. सी. महालनोबिस का जन्म दिवस 29 जून को ''सांख्यिकी दिवस'' के रूप में आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के यू.एन.डी.पी. हॉल में मनाया गया । भारत शासन द्वारा निर्देशित ''श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी थीम '' पर इस कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, द्वारा किया गया । इस अवसर पर विभाग के अधिकारी, एवं संचालनालय से समस्त संयुक्त

संचालक, उप संचालक तथा अधिनस्थ कार्यालयों से अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुये।

प्रतिवर्ष तैयार किये जाने वाले प्रकाशन '' मध्यप्रदेश के प्रमुख आकडे वर्ष 2012 '' का विमोचन प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा किया गया । सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया ।

6.2 प्रशिक्षण :

1. केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों के 21 वें सम्मेलन में विभाग की ओर से आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी द्वारा गोवा में भाग लिया गया।
2. विभागीय अमले के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2013–14 (दिसंबर 2013 तक) कुल 3 प्रशिक्षण क्रमशः कम्प्यूटर बेसिक, बजट एवं प्रशासन तथा कम्प्यूटर एडवांस विषयों पर आयोजित किये गये, जिसमे कुल 78 अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल में प्रशिक्षण हेतु नामांकित किया गया।
3. दिनांक 02.04.2013 से दिनांक 10.04.2013 के अवधि मे खण्डस्तर, अन्वेषक, प्रगणक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा जिला समन्वयक जन अभियान परिषद के लिए केन्द्रीकृत नियोजन प्रबंधन का प्रशिक्षण संचालनालय द्वारा यू.एन. डी.पी. हॉल विन्ध्याचल भवन में कराया गया।
4. दिनांक 23 से 27 सितंबर 2013 की अवधि में National Account Statistics विषय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी (नासा) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण हेतु दो सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को नामांकित किया गया।
5. दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2013 की अवधि में Basic Statistics and Data Analysis विषय पर राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी (नासा), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण हेतु दो सहायक सांख्यिकी अधिकारियों को नामांकित किया गया।
6. दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2013 की अवधि में Information Technology for Data Management and Analysis विषय पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण हेतु अपर संचालक एवं उप संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा संयुक्त संचालक, संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय ग्वालियर को नामांकित किया गया।

7. दिनांक 18 से 19 दिसंबर 2013 की अवधि में Workshop of Annual Survey of Industrial 2012-13 & Review Meeting of Six Economics Census हेतु जो भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित थी, में भाग लेने हेतु दो संयुक्त संचालकों को आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय से नामांकित किया गया।

7. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण :

राज्य शासन के वार्षिक बजट पर आधारित **आय–व्ययक संक्षेप में** एवं Economic & purpose Classification of State Govt. Budget वर्ष 2011–12 (लेखा) एवं वर्ष 2012–13 (पुनरिक्षित अनुमान) तैयार कर प्रकाशित किये गये।

राज्य शासन के बजट वर्ष 2013–14 का सार **आय–व्ययक संक्षेप** में माह फरवरी 2013 में तैयार कर विधानसभा के बजट सत्र में पटल पर रखा गया।

8. मूल्य सांख्यिकी एवं बाजार समाचार :

मध्यप्रदेश में स्थित कृषि उपज मंडियों से मासिक कृषि पदार्थो की आवक–जावक एवं थोक भाव वर्ष 2013–14 के लिए मासिक ''ग'' पत्रक की जानकारी नियमित रूप से संकलन का कार्य किया गया। मध्यप्रदेश में कृषि उपज वित्तीय वर्ष 2011–12 का प्रकाशन वर्ष 2013 में प्रकाशित किया गया।

9. सूचना प्रौघोगिकी एवं समंक सारणीयन :

सूचना प्रौघोगिकी एवं सारणीयन संभाग द्वारा वर्तमान में स्थायी आधार समंको की डाटा एन्ट्री वेलिडेशन एवं टेबूलेशन, डी.टी.पी. संबंधी कार्य, प्रशासन संभाग के वेतन शाखा के पे–बिल वेतन पर्ची इन्कम टेक्स, जी.पी.एफ./डी.पी.एफ. जिलेवार बजट आवंटन का कार्य सूचकांक तैयार करने हेतु प्रोसेसिंग संचालनालय की वेबसाइट का निर्माण, प्रदर्शन एवं आवश्यकता अनुसार अपडेशन का कार्य कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु आवश्यतानुसार प्रशिक्षण देना ई–मेल, अकाउंट का परिचालन संचालनालय में सूचना प्रौघोगिकी नीति के अधिकतम उपयोग हेतु विभिन्न परियोजनाएं बनाना एव हार्डवेयर क्रय करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना इत्यादि कार्य किये जा रहे है।

सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचालनालय में जन्म–मृत्यु पंजीयन का कार्य ऑनलाइन किए जाने हेतु साफ्टवेयर निर्माण का कार्य प्रगति पर है । इसी प्रकार भारत शासन महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा भी जन्म–मृत्यु पंजीयन तथा रिपोर्टिंग ऑनलाइन करने के लिए भी साफ्टवेयर तैयार किया गया है, जो शीघ्र क्रियान्वित किया जाएगा । महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा इस हेतु सहयोग किया जा रहा है ।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अधिकतम सुनिश्चित करने हेतु संचालनालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों जैसे – बिजनेस रजिस्टर का निर्माण, औद्योगिक सर्वेक्षण, तथा कर्मचारी गणना इत्यादि कार्य हेतु भी साफ्टवेयर निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

10. वेबसाइट :

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की वेबसाईट पर विभाग के महत्वपूर्ण प्रकाशन, प्रपत्र एवं नियमों इत्यादि की जानकारी प्रदर्शित की गयी है । विभाग की वेबसाईट का Address : http:\\www.des.mp.gov.in है ।

11. जीवनांक सांख्यिकी :

11.1 जन्म–मृत्यु पंजीयन कार्य :

राज्य में जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन जन्म–मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 तथा राज्य नियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है । जन्म–मृत्यु पंजीयन हेतु आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी को मुख्य पंजीयक का उत्तरदायित्व सौंपा है, वही ग्रामीण क्षेत्र के लिये ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, केन्टोनमेन्ट बोर्ड स्वास्थ्य संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन शत–प्रतिशत करने के उद्देश्य से पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। विगत वर्षो में जन्म पंजीयन हेतु किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप जहां राज्य में जन्म का पंजीयन वर्ष 2005 में 52.38 प्रतिशत था यह बढ़कर वर्ष 2012 में जन्म पंजीयन का प्रतिशत 86.24 एवं मृत्यु पंजीयन का प्रतिशत वर्ष 2005 में 51.68 था जो बढ़कर वर्ष 2012 में 59.50 रहा।

11.2 विवाह पंजीयन :

भारत के सर्वोच्य न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 23 जनवरी 2008 के द्वारा ग्राम पंचायत/

नगर पालिका/नगर निगम/केन्टोनमेन्ट बोर्ड को विवाह पंजीयन इकाई घोषित किया है । दिनांक 23 मई 2009 की अधिसूचना अनुसार नियम 5 (1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लिये सचिव, ग्राम पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के लिये नगर पंचायत /नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम में स्वास्थ्य अधिकारी एवं छावनी क्षेत्र (कन्टोनमेंट बोर्ड) के लिये प्रशासकीय अधिकारी को विवाह रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है । नियुक्त रजिस्टारों द्वारा पंजीयन का कार्य किया जाता है।

12. सांख्यिकी प्रकाशन :

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा संचालनालय स्तर तथा जिला स्तर से विभिन्न सांख्यिकी प्रकाशनों को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार तैयार कर प्रकाशित किया जाता है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) संचालनालय स्तरीय प्रकाशन

1. मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण
2. मध्यप्रदेश का कृषि आर्थिक सर्वेक्षण
3. मध्य प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन
4. मध्य प्रदेश का आय–व्ययक संक्षेप में
5. मध्य प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान
6. जिला घरेलु उत्पाद के अनुमान
7. मध्यप्रदेश के प्रमुख आंकड़े
8. मध्यप्रदेश एट ए ग्लांस
9. मध्यप्रदेश का सांख्यिकी संक्षेप (द्विवार्षिक)
10. अर्न्तराज्यीय समाजार्थिक विकास के संकेतक (द्विवार्षिक)
11. जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतक
12. मध्यप्रदेश में सकल स्थाई पूंजी निर्माण के अनुमान
13. मध्यप्रदेश के बजट का आर्थिक एवं उद्देश्यवार वर्गीकरण
14. जनपद स्तरीय समाजार्थिक विकास संकेतांक

(ब) जिला स्तरीय प्रकाशन :

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका
2. जिले के प्रमुख आंकड़े
3. जनपद के प्रमुख आंकड़े
4. जिला विकास पुस्तिका

13. जिला सांख्यिकी तंत्र संभाग :

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र एफ–ए 1–13–एक (1) दिनांक 6 सितम्बर 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुये राज्य, जिला, नगर, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तरीय दीनदयाल अन्तयोदय समितियो से संबंधित क्रियाकलापों की समीक्षा तथा मॉनिटरिंग कार्य योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अधीन किया गया है। यह कार्य जिला सांख्यिकी तंत्र द्वारा किया जाता है ।

14. कार्यक्रम क्रियान्वयन संभाग :

14.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना :

29 जुलाई, 1994 से प्रदेश में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना लागू की गई है । वर्तमान में योजनान्तर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र के मान से प्रत्येक मान. विधायकों को 77.00 लाख रूपये की लागत के पूंजीगत स्वरूप के निर्माण कार्यो को क्रियान्वित किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को कार्यों की अनुशंसा कर सकेंगे । इस योजना में वर्ष 2013–14 में राशि रू. 177.87 करोड़ आवंटित किये गये है । 2014–15 में रू. 177.87 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में स्वीकृत एवं पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण इस प्रकार है :–

(31 मार्च 2014 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर	अप्रारंभ कार्य	निरस्त कार्य
2012–13	11222	6190	4281	693	25
2013–14	11038	3388	5552	2087	13

14.2 जनभागीदारी योजना :

योजना के तहत वित्त वर्ष 2012–13 में जिलो को प्रदाय आवंटन रू. 11799.00 करोड़ में से मार्च 2013 तक रू.11717.26 करोड़ व्यय हुए । वर्ष 2013–14 में जिलो को आवंटित राशि रू. 17720.00 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर 2013 तक रू. 12218.92 करोड़ व्यय किये जा चुके है ।

(31 मार्च 2014 की स्थिति)

वर्ष	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर
2012–13	2693	967	1726
2013–14	2380	940	1440

14.3 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :

प्रदेश में, वर्ष 2012–13 एवं 31 मार्च 2014 तक योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं स्वीकृत कार्यो की प्रगति निम्नानुसार है ।

(31 मार्च 2014 की स्थिति)

वर्ष	आवंटन (लाख रूपये में)	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगति पर
2012–13	12171.91	4183	2554	1629
2013–14	7833.34	3806	1445	2361

15. विकास प्राधिकरण :

राज्य में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत सागर संभाग के सागर, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, पन्ना, एवं ग्वालियर संभाग के दतिया जिले को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार विन्ध्य क्षेत्र के विकास हेतु विन्ध्य विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, डिण्डौरी एवं उमरिया जिलों को सम्मिलित किया गया है, तथा तीसरा महाकौशल विकास प्राधिकरण का गठन कर जबलपुर, सिवनी, नरसिंहपुर, मण्डला, कटनी, बालाघाट एवं छिन्दवाड़ा जिलों को सम्मिलित किया गया है । विकास प्राधिकरणों द्वारा उनके क्षेत्रान्तर्गत जिले के विकास कार्य किये जाते है ।

अध्याय –4
म.प्र. जन अभियान परिषद्

स्वंय सेवी संस्थाओं के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा जारी नीति अनुसार स्वंय सेवी संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु मध्यप्रदेश शासन ने जन अभियान परिषद के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के हित में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । जन अभियान परिषद को उक्त कार्य हेतु संचालनालय से अनुदान प्रदत्त करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य शासन द्वारा माह मार्च 1996 में एक स्वायत्त शासी संस्था का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस संस्था से शासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के मध्य सेतु के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की गई।

तद्नुसार म.प्र. राज्य में जन अभियान परिषद् का गठन किया जाकर दिनांक 04/07/1997 को रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटीस के अंतर्गत पंजीयन कराया गया। संस्था का पंजीयन क्रमांक 4964/97 हैं। संस्था की शासी निकाय की गत बैठक दिनांक 14 मई 2012 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई है।

1. उद्देश्य :–

जन अभियान परिषद् के गठन का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संगठनों के मध्य विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग कर स्वैच्छिक संगठनों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा मध्यप्रदेश में स्वयंसेवी संस्थाओं को मजबूत कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोडना, विकास के नये माडलों को विकसित करना तथा उन्हें विस्तारित होने के अवसर प्रदान करना है। प्रदेश में कई संस्थायें छोटे रूप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं किन्तु उनकी कोई पहचान और पहुॅच नही है। ऐसी संस्थाओं का विकास करना जन अभियान परिषद् का मुख्य उद्देश्य है।

2. म.प्र. जन अभियान परिषद् का स्वरूप :–

1. शासी निकाय :

अध्यक्ष – मान. मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश

उपाध्यक्ष – 3 पद

मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित मध्यप्रदेश शासन के मंत्री – 01

मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित अशासकीय व्यक्ति – 02

सदस्य – निम्नलिखित विभागों के मंत्रीगण शासी निकाय के सदस्य हैं –

(1) स्कूल शिक्षा
(2) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
(3) महिला एवं बाल विकास
(4) पर्यावरण
(5) पंचायत एवं ग्रामीण विकास
(6) किसान कल्याण तथा कृषि विकास
(7) वित्त
(8) सभापति कार्यकारिणी सभा

2. कार्यकारिणी सभा :

सभापति – मुख्य सचिव

सदस्य – निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव कार्यकारिणी सभा के सदस्य हैं:

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग
(6) प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(7) प्रमुख सचिव/सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
(8) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग
(9) प्रमुख सचिव/सचिव, योजना, अर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
(10) आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

3. म.प्र. जन अभियान परिषद् के दायित्व :–

- स्वयंसेवी संस्थाओं के लिये एक सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना। स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच नेटवर्किंग, क्षमता विकास और सशक्तिकरण का प्रयास करना। इसके लिये संस्थाओं की जानकारी एकत्रित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं को एक ही स्थान पर आवश्यक सहयोग, मार्गदर्शन परियोजनाओं, उनके क्रियान्वयन, प्रभाव मूल्यांकन आदि के संबंध में जानकारियॉ उपलब्ध करना।

- राज्य शासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के मध्य विकास के सभी क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा संबंधित विषयों पर शासन को सलाह देना।
- राज्य में स्वयंसेवी संस्थाओं की स्थापना तथा संचालन के लिये अनुकूल वातावरण का निर्माण तथा इसके लिये नीतियॉ तैयार करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव क्षेत्र के आधार पर उसका वर्गीकरण एवं मूल्यांकन करना तथा उनकी सूची संधारित कर इच्छुक व्यक्तियों/हितार्थियों की सूची पत्र का संधारण कर चाहने वालों को उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय कर स्वयंसेवी संस्थाओं की गतिविधियों को बढाने के लिए जानकारी एकत्र कर उपलब्ध करवाना।
- शासकीय विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी बढाने के लिये विभागीय कार्यक्रमों/नियमों में परिवर्तन करने में मदद करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बहुउद्देशीय अभिनव परियोजनायें प्रारंभ करने हेतु शासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वयक का कार्य करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय विभागों, नगरीय प्रशासन की संस्थाओं तथा पंचायत राज्य संस्थाओं में प्रबंधन सहभागिता तथा संवाद की क्षमता को बढाने, विचारों तथा सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा विकास के विभिन्न मुद्दों की समझ बढाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- आर्थिक तथा सामाजिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण आदि के विशिष्ट कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करने हेतु एक कोष की स्थापना कर अनुदान उपलब्ध करवाना।
- उपयुक्त तकनीक, सामुदायिक नेतृत्व, सहभागिता, प्रशिक्षण एवं विकास के क्षेत्रों में अभिनवता को प्रोत्साहित करना।
- परिषद् द्वारा पंजीकृत संस्थाओं को ही राज्य, केन्द्र व अन्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- सामाजिक आर्थिक विकास से जुडी विभिन्न परियोजनाओं के प्रभाव एवं मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण तथा अध्ययन आयोजित करना।
- विकास से जुडे मुद्दों पर सेमीनार, कार्यशाला और संगोष्ठियॉ आयोजित करना।

4. परिषद् में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्गवार अद्यतन सूची :–

कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्गवार अद्यतन सूची
म.प्र. जन अभियान परिषद् (राज्य कार्यालय)
रिक्त पदों की जानकारी (रोस्टर वार) (01.02.2014)

क्र	पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
1	निदेशक प्रशासन	अनारक्षित	1	0	1
2	क्षेत्रीय निदेशक	अनारक्षित	1	0	1
		अ.ज.जा.	1	0	1
3	निदेशक परियोजना सेल	अनारक्षित	1	1	0
	निदेशक एन.जी.ओ. सेल	अनारक्षित	1	0	1
	निदेशक क्षमता निर्माण सेल	अनारक्षित	1	0	1
	निदेशक मूल्यांकन सेल	अनारक्षित	1	0	1
4	उप निदेशक प्रशासन	अनारक्षित	1	0	1
	उप निदेशक प्रकाशन	अनारक्षित	1	0	1
5	परियोजना सेल टास्क मैनेजर (मानव संसाधन)	अनारक्षित	1	0	1
	परियोजना सेल टास्क मैनेजर (प्राकृतिक संसाधन)	अनारक्षित	1	0	1
	परियोजना सेल टास्क मैनेजर (विशेष परियोजना)	अनारक्षित	1	0	1
	एन.जी.ओ. सेल टास्क मैनेजर (क्रियान्वयन)	अनारक्षित	1	0	1
	एन.जी.ओ. सेल टास्क मैनेजर (प्रशिक्षण, एडवोकेसी, मदर एन.जी.ओ.)	अनारक्षित	1	1	0
	एन.जी.ओ. सेल टास्क मैनेजर (नवीन एन.जी.ओ.)	अनारक्षित	1	1	0
	क्षमता निर्माण सेल टास्क मैनेजर (सॉफ्ट स्किल)	अनारक्षित	1	1	0
	क्षमता निर्माण सेल टास्क मैनेजर (हार्ड स्किल)	अनारक्षित	1	1	0
	क्षमता निर्माण सेल टास्क मैनेजर (विशेष परियोजना)	अनारक्षित	1	0	1
	मूल्यांकन सेल टॉस्क मैनेजर (मानव संसाधन)	अनारक्षित	1	0	1
	मूल्यांकन सेल टॉस्क मैनेजर (प्राकृतिक संसाधन)	अनारक्षित	1	0	1
	मूल्यांकन सेल टॉस्क मैनेजर (विशेष परियोजना)	अनारक्षित	1	1	0
6	पुस्तकालय प्रबंधक (लाइब्रेरियन)	अनारक्षित	1	0	1
7	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	अनारक्षित	1	1	0
8	लेखाधिकारी	अनारक्षित	1	1	0

′क	पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
9	अन्वेक्षक	अनारक्षित	1	0	1
10	स्टेनो	अनारक्षित	1	1	0
11	सहायक ग्रेड–1	अनारक्षित	1	1	0
12	सहायक ग्रेड–2	अनारक्षित	1	1	0
13	सहायक ग्रेड–3	अनारक्षित	1	1	0
14	कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित	1	1	0
15	कम्प्यूटर ऑपरेटर डिजाईनर	अनारक्षित	1	1	0
		अ.ज.जा.	1	0	1
16	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अनारक्षित	1	1	0
		अनुसूचित जनजाति	1	0	1
17	कम्प्यूटर ऑपरेटर (सेल)	अनारक्षित	2	2	0
		अनुसूचित जाति	1	1	0
		अनुसूचित जनजाति	1	1	0
18	लेखापाल	सामान्य	2	2	0
		अनुसूचित जनजाति	1	0	1
कुल योग			**41**	**21**	**20**

संभाग/जिला कार्यालय

क्र.	पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
1	संभाग समन्वयक	सामान्य पु.	3	1	2
		सामान्य महिला	1	0	1
		पिछड़ा वर्ग	1	0	1
		अनुसूचित जाति	1	1	0
		अनुसूचित जनजाति	1	0	1
	योग		**7**	**2**	**5**
2	जिला समन्वयक	सामान्य पु.	18	14	4
		सामान्य म.	7	4	3
		पिछड़ा वर्ग पु.	5	2	3
		पिछड़ा वर्ग म.	2	3	–1
		अनु.जाति पु.	6	4	2
		अनु.जाति महिला	2	1	1
		अनु.जनजाति पु.	7	2	5
		अनु.जनजाति महिला	3	1	2
	कुल		**50**	**31**	**19**

क्र	पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
3	ब्लॉक समन्वयक	सामान्य पु.	110	104	6
		सामान्य महिला	47	43	4
		पि.वर्ग पु.	31	30	1
		पि.वर्ग महिला	13	12	1
		अनु.जाति पु.	35	37	–2
		अनु.जाति महिला	15	11	4
		अनु.ज.जाति पु.	43	43	0
		अनु.ज.जाति महिला	19	15	4
	योग		**313**	**295**	**18**
1	लेखापाल	सामान्य पु.	3	3	0
		सामान्य महिला	1	0	1
		पिछड़ा वर्ग	1	1	0
		अनुसूचित जाति	1	1	0
		अनुसूचित जनजाति	1	1	0
	योग		**7**	**6**	**1**
2	लिपिक	सामान्य पु.	3	2	1
		सामान्य महिला	1	1	0
		पिछड़ा वर्ग	1	1	0
		अनुसूचित जाति	1	1	0
		अनुसूचित जनजाति	1	1	0
	योग		**7**	**6**	**1**
13	लेखापाल सह लिपिक	सामान्य पु.	17	17	0
		सामान्य महिला	8	7	1
		पिछड़ा वर्ग पु.	5	5	0
		पिछड़ा वर्ग महिला	3	2	1
		अनु. जाति पु.	6	6	0
		अनु.जाति महिला	2	1	1
		अनुसूचित जनजाति पु.	6	0	6
		अनु.ज.जाति महिला	3	0	3
	योग		**50**	**38**	**12**
14	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सामान्य पु.	19	19	0
		सामान्य महिला	9	9	0
		पिछड़ा वर्ग पु.	6	6	0
		पिछड़ा वर्ग म.	2	2	0
		अनु.जाति पु.	7	7	0
		अनु.जाति महिला	3	3	0

क्र	पद का नाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद
		अनु.ज.जाति पु.	8	2	6
		अनु.ज.जाति महिला	3	1	2
	योग		**57**	**49**	**8**
	कुल योग		**532**	**448**	**84**

म.प्र. जन अभियान परिषद में सलाहकारों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान स्थिति	रिक्त पद	नियुक्ति दिनांक
1	सलाहकार (सामाजिक)	1	1	0	26.12.2013 से 1 वर्ष के लिये
2	सलाहकार (विधि)	1	0	1	

- जिला समन्वयकों के कुल 50 पदों में से 31 पद भरे हैं तथा 19 ब्लाक समन्वयकों को प्रभार दिया गया है।
- संभाग समन्वयकों के कुल 07 पदों में से 02 पद भरे हैं तथा 05 जिला समन्वयकों को प्रभार दिया गया है।

5. योजनायें :

परिषद् द्वारा निम्नानुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है :–

1. दृष्टि योजना –

राज्य की समस्त पंजीबंद्ध स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन कर उनकी ''ताकत कमजोरियों व अवसरों'' का मूल्यांकन उनके कार्यालय, मैदानी कार्य, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। इस मूल्यांकन के आधार पर संस्थाओं का प्रत्याययन (Accreditation) किया जायेगा। यह प्रत्याययन शासन के विभिन्न विभागों को उनके कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं क्रियांन्वयन में भागीदारी हेतु प्रदेश के अलग–अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाऐं उपलब्ध कराने का आधार बनेगा।

वर्तमान में प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों के प्रत्याययन हेतु प्रक्रिया, मापदंड एवं प्रारूप का निर्धारण किया जाकर मध्यप्रदेश स्वेच्छिक संगठन प्रत्याययन अधिनियम 2014 **(**The Madhya Pradesh Voluntary Organization Accreditation Council Bill, 2014**)** को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

2. नवांकुर योजना –

राज्य में नवीन स्वयंसेवी संस्थाओं का उन्मुखीकरण एवं पोषण करना परिषद् की एक प्रमुख गतिविधि है। इसके लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में एक, जिला मुख्यालय पर एक, संभाग मुख्यालय पर तीन, तीन बड़े शहरों – इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पाँच तथा राज्य की राजधानी भोपाल में दस नवांकुरित संस्थाओं का चयन कर उनकी रूचि, क्षमता और जरूरतों के अनुसार प्रथम वर्ष में रूपये 50 हजार, द्वितीय वर्ष में रूपये 1.00 लाख और तृतीय वर्ष में रूपये 2.00 लाख का वित्तीय पोषण किये जाने का प्रावधान है। यह पोषण जन अभियान परिषद् द्वारा सीधे अथवा किसी अन्य स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से किया जाता है। इस सहायता का उपयोग म.प्र. जन अभियान परिषद् द्वारा गठित स्वयंसेवी संगठनों के क्षमतावर्द्धन, सशक्तिकरण तथा ''आओ बनाये अपना स्वर्णिम मध्यप्रदेश अभियान'' अंतर्गत चिन्हांकित नौ विषयों यथा सबके लिये शिक्षा, सबके लिये स्वास्थ्य, नशामुक्ति, हरियाली/ पर्यावरण संरक्षण, जलसंरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छता एवं साफ–सफाई, कृषि को लाभकारी बनाने, कुपोषण एवं परिवार नियोजन आदि के क्रियान्वयन पर उनकी सक्रिय भागीदारी हेतु उपयोग किया जायेगा।

योजना अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 हेतु कुल 1936 नवांकुर संस्थाओं का चयन किया जाकर राशि रू. 968. 00 लाख का वित्तीय पोषण किया जा रहा है।

3. संवाद योजना –

स्वंयसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विकास कार्यो के दौरान सामूहिक प्रक्रियाओं को परस्पर बांटने, विकास की रणनीतियों में आ रहे व्यवधानों को चिन्हित करने तथा विकास की प्रक्रिया को गति देने हेतु किए जाने वाले प्रयासों को साझा करने के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ संवाद, संचार, अभिप्रेरणा और सूचना संप्रेषण के उद्देश्य से राज्य, संभाग, जिला, विकासखण्ड स्तर पर बैठकें, संगोष्ठियॉ तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रावधानित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गई –

- मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24 मार्च 2013 को राज्य स्तर पर लगभग 5000 स्वैच्छिक संगठन/नवांकुर संस्था, प्रस्फुटन समिति के प्रतिनिधियों के साथ स्वैच्छिक संगठन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में 02 अक्टूबर 2013 को गॉधी जयंती के अवसर पर समस्त प्रस्फुटन/स्पंदन/नवांकुर/अन्य स्वंयसेवी संस्थाओं के

प्रतिनिधियों के साथ एक दिवसीय विसखण्ड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- समस्त सातों संभागों में संभाग स्तरीय नवांकुर संस्थाओं के साथ 11 संभाग स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 50 जिलों में जिला व विकासखण्ड स्तरीय नवांकुर संस्थाओं के साथ 90 जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 313 विकासखण्डों में प्रस्फुटन समितियों के साथ विकासखण्ड स्तरीय 911 बैठको का आयोजन किया जा रहा है।
- प्रदेश के 07 संभागों में शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ संभाग स्तरीय समन्वय बैठकों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 50 जिलों में शासकीय विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ जिला स्तरीय जिला जन अभियान समिति की बैठक प्रभारी मंत्री/उपाध्यक्ष/कलेक्टर की अध्यक्षता में 12 बैठकों का आयोजन किया गया।

4. समृद्धि योजना –

स्वयंसेवी संस्थाओं तथा परिषद के कार्यकर्ताओं की क्षमता का आंकलन कर उनकी क्षमतावृद्वि हेतु प्रशिक्षण/कार्यशालायें/अध्ययन भ्रमण/शोध कार्य आयोजित करना तथा विभिन्न स्तरों पर पारितोषिक आदि प्रदान किया जाना प्रावधानित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गईः–

- राज्य स्तर से नवांकुर संस्थाओं के कार्यो की समीक्षा हेतु प्रदेश के समस्त संभागों में एक दिवसीय इंटरफेस कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- प्रदेश के 313 विकासखण्डों में 886 प्रस्फुटन समितियों का विकासखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण अयोजित किया गया।

5. सृजन योजना –

मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचल कला–संस्कृति से समृद्ध हैं। लोगों में पारम्परिक ज्ञान–विज्ञान, कौशल, कला, साहित्य व खेलों की प्रतिभा है। क्षमता, सृजनात्मकता तथा प्रतिभा के धनी इन लोगों को उपयुक्त अवसर के अभाव में जहॉ एक ओर कई समस्याओं का सामना करना पडता है वहीं दूसरी ओर इसका लाभ आम जनता तक व्यापक रूप में नहीं पहुॅच पाता। परिषद् की सृजन योजना में प्रत्येक जिले में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार सहयोग देकर उनकी प्रतिभा तथा

सृजनात्मक कार्यों को व्यवसायिक स्तर पर स्थापित किया जाना सम्मिलित है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गई :–

- परिषद् द्वारा अब तक प्रदेश के समस्त विकासखण्डों से पारंपरिक ज्ञान–विज्ञान, कौशल, कला, साहित्य व खेल में दक्ष 62600 प्रतिभाओं का चिन्हांकन किया जा चुका है जिसका संभागवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	संभाग	दक्ष लोगों की संख्या
1	इंदौर	26806
2	सगर	13450
3	उज्जैन	12930
4	जबलपुर	24806
5	ग्वालियर	21854
6	भोपाल	22724
7	रीवा	13554
	योग	**136124**

- पारंपरिक ज्ञान–विज्ञान, कौशल, कला व साहित्य में दक्ष व्यक्तियों के कार्यो को व्यवसायिक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर तीन दिवसीय सृजन मेले का आयोजन 6 से 8 मार्च 2013 के मध्य किया गया जिसमें 313 दक्ष व्यक्तियों/समूहों द्वारा मेले में पारंपरिक व्यवसाय की दुकाने लगाकर विलुप्त हो रही परंपरा एवं ज्ञान का विस्तार किया गया। जिसमें भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए।
- ग्राम में साहित्य, सांस्कृतिक एवं खेलकूद आदि क्षेत्रों से प्रतिभाओं का चिन्हांकन कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु, ग्राम, विकासखण्ड, जिला तथा संभाग स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्तमान में किया जा रहा है।

6. विस्तार योजना –

योजना में समसामयिक एवं स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को चिन्हित कर स्थानीय समूह की जागरूकता व सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना, शासकीय विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जन सूचना केन्द्र का संचालन, प्रचार–प्रसार साहित्य एवं अन्य मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से जानकारियॉ उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना शामिल है। मैदानी स्तर पर लोगों में स्वतः प्रेरणा जागृत कर विकासात्मक गतिविधियों के संचालन में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं साफ–सफाई, जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, हरियाली व पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, कृषि को लाभकारी बनाना, कुपोषण एवं परिवार नियोजन आदि विषयों पर समुदाय में

जागरूकता लाने हेतु जमीनी स्तर पर जन अभियान चलाये जा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गई :–

- म.प्र. जन अभियान परिषद् की संरचना, आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, कार्य, भावी, योजनाओं एवं महत्वपूर्ण प्रकाशन, नियम इत्यादि की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से म.प्र. जन अभियान परिषद् की वेबसाईट www.mpjap.org का संचालन किया जा रहा है।
- शासकीय विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार हेतु प्रति विकासखण्ड 5 जन सूचना केन्द्रों के मान कुल 1565 जन सूचना केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।
- योजनांतर्गत शासकीय जन कल्याणकारी योजनाओं एवं जन उपयोगी तकनीकी जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु लीफ–लेट, फोल्डर एवं साहित्य आदि हेतु समस्त जिलों में राशि रू. 10 हजार के मान से राशि रू. 50.00 लाख आवंटित किये जा चुके हैं।
- बच्चों के नैतिक विकास के लिये 2993 ग्रामों में जन सहयोग से संस्कार केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।
- प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में 1–1 स्वामी विवेकानंद वाचनालय की स्थापना की जा रही है। इस हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के लिये प्रति केन्द्र रू. 10,000/– का प्रावधान किया गया है, शेष व्यवस्था जन सहयोग से की जा रही है।
- मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 मार्च 2013 को आयोजित स्वैच्छिक संगठन संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राज्य एवं जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्वैच्छिक संगठन पुरस्कार वर्ष 2012–13 में राज्य स्तर पर तीन पुरस्कार प्रथम पुरस्कार राशि रू. 5.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 3.00 लाख एवं तृतीय पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख की राशि के पुरस्कार तथा 39 जिलों के स्वैच्छिक संगठनों को राशि रूपये 1.00 लाख के एकल पुरस्कार प्रदान किये।
- योजनांतर्गत परिषद् की वित्तीय वर्ष 2013–14 की कार्ययोजना अनुसार मुख्यमंत्री विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट स्वयंसेवी संगठन हेतु पुरस्कार वर्ष 2013–14 में प्रदेश के समस्त 313 विकासखण्डों में प्रत्येक विकासखण्ड के मान से राशि रू. 50 हजार के मान से 156.50 लाख का प्रावधान किया गया है।

7. प्रस्फुटन योजना –

किसी भी गॉव/नगर का विकास तब तक नही हो सकता जब तक कि विकास पुरूष स्थानीय न हो। प्रत्येक गॉव व नगर में ऐसे लोग होते है जो स्वावलंबन कि दिशा में

कार्य करते है। समाज कि इसी स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिवर्ष प्रत्येक विकासखंड में 10 नये गॉवों/नगरी क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत गॉव/नगर में चिन्हित व चयनित सक्रिय समूह को 3 वर्षो के लिये प्रतिवर्ष रू. 10 हजार (एक मुश्त) दिये जाने का प्रावधान है। आगामी वर्षो में प्रदेश के समस्त ग्रामों/नगरों में स्वैच्छिकता का भाव विकसित होकर सक्रिय समूह स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो सकेंगें। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गईं :–

- योजनांतर्गत प्रदेश के समस्त 313 विकासखंण्डों में वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11,2011–12,2012–13 एवं 2013–14 हेतु प्रतिवर्ष 10–10 प्रस्फुटन समितियों के चयन के मान से कुल 14709 ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति तथा विकासखंण्ड मुख्यालय/नगर में वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 हेतु कुल 306 नगर विकास प्रस्फुटन समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों द्वारा स्वैच्छिकता एवं सहभागिता के आधार पर ग्राम/नगर में स्वावलंबन हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जिसक अन्तर्गत गॉवों/नगरों के सक्रिय, जागरूक तथा क्षमतावान व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक एवं सामूहिक आधार पर श्रम दान एवं स्वयं के आर्थिक स्रोतो से ''आओं बनाये अपना मध्यप्रदेश'' कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हांकित 9 विषयों यथा सबके लिये शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, नशा मुक्ति, हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, उर्जा संरक्षण, स्वच्छता एवं साफ सफाई,कृषि को लाभकारी बनाना, कुपोषण एवं परिवार नियोजन आदि विषयों पर कार्य किये जा रहें है।
- प्रदेश भर की प्रस्फुटन समितियॉ द्वारा उर्जा संरक्षण विषय के अन्तर्गत 4532 बायोगैस संयंत्रों/उन्नत चुल्हो की स्थापना की गयी है। जल संरक्षण विषय के अन्तर्गत प्रदेश भर में 8092 बोरी बंधान, 2993 तालाब गहरीकरण, 11588 कुओं का गहरीकरण का कार्य किया गया है। सबके लिए स्वास्थ्य विषय के अन्तर्गत 3265 स्वास्थ शिविरों का आयोजन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में 121769 बच्चों का शाला में प्रवेश दिलाया गया साथ ही 4622 संस्कार केन्द्र/पाठशालायें भी स्थापित की गयी। नशामुक्ति अभियान के अन्तर्गत 344 ग्रामों को पूर्णतः शराब मुक्त किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु 2844784 पौधों का रोपण किया गया। स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 76278 शौचालयों का निर्माण एवं 66675 सोख्ता गढ्ढों का निर्माण किया गया। प्रस्फुटन समितियो द्वारा किये गये कार्यो का राज्य स्तरीय प्रतिवेदन संलग्न है।